

आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –19/2023

श्रीमती ममता पोद्यार उर्फ ममता देवी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14— फार्म संख्या—563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
23.03.2023	<p>यह पुनरीक्षण / अपीलवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के वाद संख्या—09/2022 में दिनांक—08.11.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, जिस आदेश से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने श्रीमती ममता पोद्यार उर्फ ममता देवी को चयन मुक्त करने का आदेश दिया है।</p> <p>आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को पोषणीयता के बिन्दु पर सविस्तार सुना। सुनवाई के दौरान आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने बताया एवं लिखित आवेदन भी दिया कि आवेदिका का चयन ऑगनबाड़ी सेविका / सहायिका चयन नियमावली—2016 के आधार पर हुई है एवं उनके विज्ञापन की तिथि दिनांक 27.11.2016 है।</p> <p>विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रश्नगत मामला सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका—2016 से संबंधित है, जिसको सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है।</p> <p>आवेदिका को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामला में श्रीमती ललिता देवी द्वारा चयन हेतु आवेदन सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका—2016 के</p>	

आधार पर दिया हुआ है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश से भी स्पष्ट है कि वादी (श्रीमती ललिता देवी) का चयन सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2016 के आधार पर हुआ है। उल्लेखनीय है कि समेकित बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0) निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि “जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप ही किया जाएगा।” चूंकि प्रश्नगत मामला 2016 के मार्गदर्शिका से आच्छादित है। अतएव ऐसे मामलों को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

आयुक्त